न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी, जिला जोधपुर

ग्रामवासी विष्णु की ढाणी बनाम राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लूणी

राजस्व विविध प्रार्थना संख्या : 164 / 2025

अन्तर्गत धारा :– तरमीम दुरूस्ती

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28.07.25	प्रार्थीगण ग्रामवासी विष्णु की ढाणी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर ग्राम विष्णु की ढाणी धांधिया में उप स्वास्थ्य केन्द्र की आवंटित भूमि में तरमीम संशोधन हेतु निवेदन किया है। प्रार्थना पत्र की जांच हेतु तहसीलदार लूणी को इस कार्यालय के पत्रांक राजस्व/2025/588 दिनांक 15.07.2024 के द्वारा तहरीर जारी कर प्रकरण में जवाब/जांच हेतु लिखा गया। तहसीलदार लूणी के प्'त्रांक/भू.अ./2025/13 दिनांक 02.01.2025 के द्वारा जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई जो शामिल पत्रालवी की गई। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार लूणी से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार ग्राम विष्णू की ढाणी के खसरा नंबर 94/2 रकबा 0.4047 है. भूमि में राजकीय उप स्वास्थ्य केन्द्र (स्वास्थ्य विभाग) के नाम वर्तमान जमाबंदी में दर्ज है जिसकी नक्शे में तरमीम की हुई है। शेष भूमि पर उपस्वास्थ्य के सामने इसी खसरे में लगभग 0.30 हैक्टर में राजकीय प्राथमिक विधालय भवन बना हुआ है जो कि राजस्व रेकर्ड में दर्ज नहीं है साथ ही पास में पीएचईडी विभाग की पानी की टंकीया भी इसी खसरे में बनी हुई है। राजकीय प्राथमिक विधालय के पश्चिम में इसी खसरे में दो मन्दिर बने हुए है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। खसरा नंबर 94/2 में राजकीय उप स्वास्थ्य केन्द्र बना हुआ है जो कि एक राजकीय संस्था है साथ ही इसी खसरे में विधालय एवं पीएचईडी टंकिया बनी हुई है। अतः उक्त खसरे में तरमीम संशोधन से उक्त राजकीय विभागो के हित प्रभावित होने की संभावना है। तहसीलदार रिपोर्ट के संलग्न भू.अ.नि. की रिपोर्ट में भी संस्था का हित प्रभावित होना बताया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र खारीज किया जाता है। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी	